**बिहार सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

# संकल्प

**विषयः** राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्राओं को दिये जाने वाले राज्य स्तर एवं संस्थानवार **''मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार''** नीति।

1. **प्रस्तावना** :– राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के अध्ययनरत मेधावी छात्र एवं छात्राओं के शैक्षणिक गुणवत्ता, बौद्धिकता के बढ़ाने के उद्देश्य प्रत्येक संस्थान के कतिपय संकायों के शीर्ष प्राप्त तीन छात्र/छात्राओं एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक संकाय के तीन शीर्ष प्राप्त छात्र/छात्राओं को **''मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार''** से पुरस्कृत किया जायेगा।

2. **पात्रता के मानदण्ड** :–

(क) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् बिहार से सम्बद्ध राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के सभी अध्ययनरत छात्र/छात्रा इस पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ख) राज्य स्तर पर निम्न संकाय यथा विद्युत अभि0/इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स संकाय, असैनिक अभि0, यांत्रिकी अभि0, कम्प्यूटर अभि0, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड संचार अभि0, के सभी सेमेस्टर में पूर्ण रुप से समापन के उपरान्त शीर्ष प्राप्त तीन छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के रुप में पुरस्कृत किया जायेगा।

(ग) संस्थानान्तर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए यथाउल्लिखित संकाय में प्रत्येक वर्ष के दो सेमेस्टरों के योग प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष प्राप्त तीन छात्र/छात्रा को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) अभियंत्रण संस्थानान्तर्गत निम्न संकाय यथा विद्युत अभि0, कम्प्यूटर साईन्स, यांत्रिकी अभि0, असैनिक अभि0, सूचना प्रौद्योगिकी अभि0, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड संचार अभि0, इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अभि0 लेदर टेक्नोलॉजी इत्यादि में टॉप करने वाले छात्रों के लिए है।

(ड़) पोलिटेकनिक संस्थानान्तर्गत निम्न संकाय यथा विद्युत अभि0, कम्प्यूटर साईन्स, यांत्रिकी अभि0, असैनिक अभि0, सूचना प्रौद्योगिकी अभि0, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड संचार अभि0, इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अभि0, वस्त्र अभि0, रसायन अभि0, मुद्रण

A

प्रौद्योगिकी, सिरामिक अभि0, पोशाक डिजाईन एवं परिधान प्रौद्योगिकी इत्यादि के शीर्ष प्राप्त छात्र/छात्रा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे।

**(च)** पुरस्कार के लिए किसी भी सेमेस्टर में कोई कैरी/बैकलॉग/कृपांक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा इसके पात्र नहीं होंगे।

**(छ)** पुरस्कार प्राप्त करने वाले चयनित छात्र/छात्रा का न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत अनिवार्य होगी।

3. **रैंक धारक :–**

3.1 **राज्य स्तर पर**

**(i)** राज्य स्तर पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के यथा उल्लिखित संकाय के शीर्ष छात्रों का चयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/CGPA के आधार पर किया जायेगा।

**(ii)** राज्य स्तर पर राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के यथा उल्लिखित संकाय के शीर्ष छात्रों का चयन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/CGPA के आधार पर किया जायेगा।

3.2 **संस्थान स्तर पर (राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में)**

(क) संस्थान स्तर पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के यथा उल्लिखित संकाय के प्रथम वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

(ख) संस्थान स्तर पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के यथा उल्लिखित संकाय के द्वितीय वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

(ग) संस्थान स्तर पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के यथा उल्लिखित संकाय के तृतीय वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पॉचवें एवं छठे सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

(घ) संस्थान स्तर पर राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के यथा उल्लिखित संकाय के चतुर्थ वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सातवें एवं आठवें सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

3.3 **संस्थान स्तर पर (राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान में)**

(क) संस्थान स्तर पर राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के यथा उल्लिखित संकाय के प्रथम वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

(ख) संस्थान स्तर पर राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के यथा उल्लिखित संकाय के द्वितीय वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

(ग) संस्थान स्तर पर राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के यथा उल्लिखित संकाय के तृतीय वर्ष के शीर्ष छात्रों का चयन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार के पॉचवें एवं छठे सेमेस्टर के प्रकाशित परीक्षाफल में प्राप्त संचयी प्रतिशत/SGPA के आधार पर किया जायेगा।

4. संकाय के शीर्ष प्राप्त छात्रों की सूची पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने से एक सप्ताह पूर्व विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित कर दी जायेगी।

5. **पुरस्कार :–**

5.1 **राज्य स्तर पर**

(क) राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 1200/– का एक स्मृति चिन्ह रु0 5000/– का चेक एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ख) राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 1000/– का एक स्मृति चिन्ह रु0 4000/– का चेक एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ग) राज्य स्तर पर तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 800/– का एक स्मृति चिन्ह रु0 3000/– का चेक एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

5.2 **संस्थान स्तर पर**

(क) संस्थान स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 600/– का एक स्मृति चिन्ह एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ख) संस्थान स्तर पर द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 500/– का एक स्मृति चिन्ह एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

ℓ

(ग) संस्थान स्तर पर तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को अधिकतम रु0 400/– का एक स्मृति चिन्ह एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

6. **पुरस्कार वितरण समारोह**

6.1 **राज्य स्तर पर**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राजकीय मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह प्रत्येक वर्ष अभियन्ता दिवस, 15 सितम्बर के दिन पटना में आयोजित किया जाएगा।

6.2 **संस्थागत स्तर पर**

संस्थानान्तर्गत शीर्ष छात्रों का पुरस्कार वितरण समारोह प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त के दिन संस्थान में आयोजित किया जाएगा।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प सभी संबंधित को दी जाय।**

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

6.3.2020

**सरकार के संयुक्त सचिव**

ज्ञापांक– 950 पटना, दिनांक – 6.3.2020

प्रतिलिपि :– कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/ सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार/परियोजना निदेशक, बी0सी0एस0टी0, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.2020

**सरकार के संयुक्त सचिव**